

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1421/2014/झुंझुनूं

मैसर्स श्री ब्रिक्स उद्योग, माखर, इस्लामपुर, झुंझुनूं

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, झुंझुनूं.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05/06/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 123/आरवेट/झुंझुनूं/2013-14 में पारित किये गये आदेश दिनांक 19.05.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, झुंझुनूं (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2010-11 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 22, 23, 24 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 28.02.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।
2. प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में अपीलार्थी के वर्ष 2010-11 के कर निर्धारण आदेश में त्रैमासिक बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नियम 19ए के तहत प्रति तिमाही रूपये 5000/- के विलम्ब शुल्क का आरोपण किया गया था, जिसके विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने यह निर्णय दिया कि शास्ति आरोपण से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान कर दिया गया था एवं अपीलार्थी को मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं मानते हुए तिमाही रिटर्न पेश करने का दायित्व मानते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की थी। अपील के समय प्रस्तुत लिखित प्रतिवेदन हमारे समक्ष पेश किये गये। प्रतिवेदन में यह तथ्यात्मक स्थिति बताई गई कि अपीलार्थी का पंजीयन के प्रथम वर्ष के कर निर्धारण तथा वर्ष 2010-11 में विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने सम्बन्धी नियम 19(1)(ii) में यह




लगातार.....2

अंकित था कि पिछले वर्ष में जिनका कर दायित्व रूपये 20,000/- से कम हो उन्हें त्रैमासिक बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी चूंकि अपीलार्थी का पंजीयन के पश्चात् यह प्रथम वर्ष था अतः उसके पिछले वर्ष में कोई कर दायित्व नहीं होने से वर्ष 2010-11 में त्रैमासिक बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं होने का कथन सही था जिस पर अपीलीय अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया है एवं अपीलार्थी द्वारा वार्षिक बिक्री विवरण प्रपत्र वैट-10ए समय पर प्रस्तुत कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त विधिक रूप से भी दिनांक 01.04.2011 से 14.07.2014 के बीच वेट अधिनियम में विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नियम 19ए के तहत विलम्ब शुल्क दिये जाने के जो नियम थे उसमें केवल उन्हीं विवरण प्रपत्रों पर विलम्ब शुल्क का दायित्व था जो विलम्ब से प्रस्तुत किये जाते हैं परन्तु जिन मामलों में विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये थे वे Non submission of return होने से उन पर विलम्ब शुल्क का आरोपण किया जाना विधिसम्मत नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 2109/2014/बाड़मेर मैसर्स खेतमल एण्ड कं0, धोरीमन्ना, बाड़मेर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, तृतीय, बाड़मेर व अन्य प्रकरणों में पारित किये गये संयुक्त निर्णय दिनांक 22.02.2017 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि दिनांक 01.04.2011 से 14.07.2014 के बीच Non Submission of returns के प्रकरणों में नियम 19ए के तहत विलम्ब शुल्क आरोपणीय नहीं है। हस्तगत प्रकरण उक्त न्यायिक दृष्टान्त से पूर्णतया आच्छादित है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियम 19ए के तहत विलम्ब शुल्क का आरोपण किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त विलम्ब शुल्क की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है अतः आरोपित विलम्ब शुल्क अपास्तनीय पाया जाता है।

4. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर कर निर्धारण आदेश में आरोपित विलम्ब शुल्क सम्बन्धी आदेश एवं अपीलीय आदेश दिनांक 19.05.2014 अपास्त किया जाता है।

5. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य